Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

online 2024/316

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

गणेशमल पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम भीखमचन्द वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 150/2024 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.07.2024	आज यह प्रार्थना पत्र गणेशमल ने जरिये श्री प्रकाश राजपुरोहित अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 117 तादादी 2.7900 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.1100 हैक्टेयर वाकेरोही उदासर चारनान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 10.09.2024 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 10.09.2024 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
16.8.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी/वादी द्वारा मूलवाद विड्रो किये जाने पर पेशी में ली गई। मूलवाद विड्रो किये जाने के कारण प्रा.पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद [illegible] पूर्ति वांछित जाब्ता रिकार्ड में जमा होकर दाखिल दफ्तर (उमा मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.05 11:48:45 IST
Reason: SelfAttested